न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग जिला डीग(राज.)

मि0न0 79/2011(जी.सी.एम.एस. 2017/00) पीठासीन अधिकारीः– डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

खैमचन्द उर्फ खैम सिंह पुत्र श्यामलाल जाति जाटव नि0 ग्राम बदनगढ तहसील व जिला डीग(राज0)

–सायल

बनाम

1. बंटी पुत्र प्रेम सिंह जाति जाटव नि0 ग्राम रारह तहसील व जिला भरतपुर हाल उच्चैन तहसील रूपवास जिला भरतपुर
2. मन्सो पुत्र हरलाल जाति जादों ठाकुर नि0 ग्राम गहनावली तहसील डीग

–गैर सायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निशेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,

निर्णय दिनांकः 30.04.2024

सायल द्वारा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, इस आशय के साथ पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बरान 1857/0.34, 1863/0.18 किता–02 रकबा 0.52 हैक्टे0 वाके ग्राम सोनगॉव तहसील डीग तथा आराजी खसरा नम्बरान 212/0.43, 213/0.02, 214/0.21, 216/0.09, 217/0.34, 228/0.34, 229/0.28, किता–07 रकबा 1.71 हैक्टे0 वाके ग्राम गहनावली तहसील डीग तथा आराजी खसरा नम्बर 297/0.16, 299/0.12, 300/0.20, 302/0.08, 314/0.35, 322/0.33, किता–06, रकबा 1.24 हैक्टे0 वाके ग्राम बदनगढ तहसील डीग में स्थित है। गैर सायल संख्या 01 बंटी की दादी मृतक गंगोदेई की प्रथम शादी आज से करीव 52–53 साल पूर्व वादी सायल के पिता श्यामलाल पुत्र भिक्की के साथ हुई थी लेकिन शादी के करीव एक डेढ माह बाद ही मृतक गंगोदेई वादी सायल के पिता श्यामलाल को छोडकर अपने पीहर चली गई और उसके बाद उक्त गंगोदेई दादी प्रति0 गैर सायल संख्या 01 वादी सालय के पिता के पास कभी लौटकर नहीं आई और 4–5 महीने बाद ही उक्त गंगोदेई ने पतरे पुत्र नामालुम जाति जाटव नि0 ग्राम रारह तहसील व जिला भरतपुर के साथ दूसरी शादी करली और पूरी जिन्दगी उक्त गंगोदेई उक्त पतरे के साथ बतौर पत्नी गॉव रारह जिला भरतपुर में रही और ग्राम रारह में ही उसकी मृत्यु हुई। उक्त गंगादेई के वादी सायल के पिता श्यामलाल के नुत्फे से कोई संतान पैदा नहीं हुई,क्योंकि मृतक गंगादेई ने केवल एक–डढ माह बाद ही वादी सायल के पिता श्यामलाल को छोड दिया था और उक्त गंगादेई का वादी सायल के पिता श्यामलाल से कोई संबंध नहीं रह गया था। मृतक गंगादेई के पतरे के नुत्फे से तीन लडके जिनके नाम क्रमशः प्रेम सिंह,श्रीराम व केशव है एक पुत्री सुन्हैरी है। जिनमें पतरे के बडे पुत्र प्रेमसिंह की मृत्यु हो चुकी है जिसका पुत्र प्रति0 गैर सायल संख्या 01 है और इस प्रति0गैर सायल संख्या 01 का पतरे बाबा लगता है और इस प्रकार प्रति0 गैर सायल संख्या 01 व उसके पिता मृतक प्रेमसिंह का कोई सम्बन्ध वादी सायल के पिता श्यामलाल के परिवार व उसकी सम्पत्ति से नहीं है और न ही प्रति0 गैर सायल संख्या 01 की दादी मृतक गंगोदेई का कोई सम्बन्ध वादी सायल के पिता श्यामलाल को छोडकर जाने के बाद से रहा है। प्रति0 गैर सायल संख्या 01 का पिता प्रेमसिंह वादी सायल के पिता श्यामलाल के नुत्फे से गंगादेई के पैदा नहीं हुआ था और ना ही मृतक

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

गंगादेई के कोई संतान वादी सायल के पिता श्यामलाल से हुई थी। प्रति0 गैर सायल संख्या 01 का पिता प्रेमसिंह गंगादेई के पतरे के साथ शादी करने के बाद हुआ था और प्रति0 गैर सायल संख्या 01 का पिता प्रेमसिंह पतरे का पुत्र था जिसकी मृत्यु हो चुकी है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्णित विवादित आराजी खसरा नम्बरान पर रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु गैर सायलान को पावंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित वर्णित आराजीयात पर दिनांक 11.05.2011को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जोकि आदिनांक तक प्रभावी है। उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील सायल को सुना गया। वहस के दौरान प्रति0/गैर सायलान की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। पत्रावली पर गैर सायल संख्या 01 बंटी का जबाव उपलब्ध है। जबाव में वर्णि है कि गैर सायल संख्या 01की दादी 52–53साल पूर्व छोडकर नहीं गई वल्कि उसके 45–46 साल पूर्व घर से निकाल दिया गया था। गैर सायल नम्बर 01 की दादी गंगादेई और श्यामलाल के नुत्फे से ग्राम बदनगढ में गैर सायल संख्या 01 के पिता प्रेमसिंह का जन्म हुआ था। गैर सायल संख्या 01 की दादी श्यामलाल के साथ करीव 4–5 साल पत्नी के रूप में रही थी और उनके नुत्फे से प्रेमसिंह उत्पन्न हुआ था। गैर सायल संख्या 01 के पिता प्रेमसिंह श्यामलाल का ही पुत्र है वह पतरे के पुत्र नहीं है और प्रेमसिंह,श्यामलाल की जायदाद में हिस्सा रखता है...। जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील सायल ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार व प्रति0/गैर सायलान की अनुपस्थिति के आधार पर दिनांक 11.05.2011को जारी

<u>प्रथम दृष्ट्या प्रकरणः—</u> सायल का अपने प्रार्थना पत्र में मुख्यतया कथन रहा है कि सायल के पिता श्यामलाल की प्रथम शादी गैर सायल बंटी की दादी मृतक गंगादेई के साथ हुई थी। जोकि शादी के 01–02 साल बाद ही श्यामलाल को छोडकर चली गई, उसने अपना दूसरा विवाह पतरे नि0 ग्राम रारह से कर लिया और पूरी जिन्दगी पतरे के साथ रही तथा वहां पतरे से गैर सायल बंटी का पिता प्रेमसिंह व अन्य वारिसान पैदा हुए तथा श्यामलाल से गंगादेई के कोई पैदा नहीं हुआ। इसके विपरीत गैर सायल का कथन है कि उसका पिता प्रेमसिंह,श्यामलाल के नुत्फे से गंगादेई से पैदा हुआ था। जिसकी मृत्यु हो चुकी है और वह भी गंगादेई का वारिस है। ये सभी तथ्य कि गंगादेई के नुत्फे से प्रेमसिंह का जन्म हुआ या नहीं तथा प्रेमसिंह के पिता का नाम पतरे है या नहीं साक्ष्य का विषय है। जोकि दावा में उभय पक्ष की साक्ष्य आने पर तय किये जावेंगे। चूँकि वर्तमान परिस्थितियों में सायल का एक वाद लम्बित है। इसलिए वर्तमान तथ्यों पर प्रथम दृष्ट्या पक्ष सायल के पक्ष में प्रमाणित है।

<u>सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षतिः—</u>चूँकि निर्णय की विवेचना में प्रथम दृष्ट्या पक्ष सायल के पक्ष में प्रमाणित है तथा गैर सायल के पक्ष में विरासत का नामा0 दर्ज हो चुका है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा की वैकिट होने की स्थिति में विवादित आराजी के अन्यत्र हस्तान्तरित होने की संभावना है। इसलिए विवादित आराजी को सुरक्षित रखना भी आवश्यक है। विक्रय की स्थिति में सायल को नुकसान होने की संभावना है। इसलिए अपूर्णनीय क्षति व सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में प्रमाणित है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, के तथ्य व वर्तमान परिस्थिति की दृष्टि से वकील सायल द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड, के अवलोकन व बहस पर मनन करने से प्रार्थना पत्र सायल प्रमाणित होने की स्थिति में प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट,स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

अतः आदेश है किः–

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। दावां अन्तर्गत धारा 88,89,91 व 188,आर.टी.एक्ट के अन्तिम निस्तारण होने तक विवादित आराजी खसरा नम्बरान 1857/0.34, 1863/0.18 किता–02 रकबा 0.52 हैक्टे0 वाके ग्राम सोनगॉव तहसील डीग तथा आराजी खसरा नम्बरान 212/0.43, 213/0.02, 214/0.21, 216/0.09, 217/0.34, 228/0.34, 229/0.28, किता–07 रकबा 1.71 हैक्टे0 वाके ग्राम गहनावली तहसील डीग तथा आराजी खसरा नम्बर 297/0.16, 299/0.12, 300/0.20, 302/0.08, 314/0.35, 322/0.33, किता–06, रकबा 1.24 हैक्टे0 वाके ग्राम बदनगढ तहसील डीग के हि0 1/4 के हि0 4/9 पर दावे के फाईनल निस्तारण तक रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु प्रार्थना पत्र में वर्णित गैर सायलान संख्या 01 व 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है तथा उक्त आराजीयात में वर्णित अन्य सहखातेदारान उक्त स्थाई निषेधाज्ञा से प्रभावित नहीं होंगे।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को लिखाया जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

Scanned with OKEN Scanner